न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 22 / 2023 (उदयपुर डिक्री)

सज्जनसिंह पिता केशरसिंह जी राजपूत, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

डुल्हेसिंह पिता केशरसिंह जी राजपूत, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली दि0
27–01–2023 प्रकरण संख्या 243 / 16

———/———

उपस्थित :– 1– श्री कुलदीप चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री जितेन्द्रसिंह झाला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 26–09–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बामणिया खेत डबोक में आराजी नंबर 3829 / 257 रकबा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज होकर वादी की स्वअर्जित भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई हैं, दोनों के मध्य दिनांक 23–12–2005 को एक इकरारनामा निष्पादित हुआ, जिसमें वादी के खाते की आराजी नंबर 3829 / 257 रकबा 4 बिस्वा प्रतिवादी को देना तय हुआ एवं इसके बदले उनके मौरूसी मकान वादी को देना तय हुआ, जिसका आराजी नंबर 257 रकबा 5 बिस्वा है, जो वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी के नाम दर्ज है, लेकिन प्रतिवादी ने वादी की आराजी नंबर 3829 / 257 रकबा 4 बिस्वा पर कब्जा प्राप्त कर वादी की बिना सहमति के मकान बनवाकर निवास करने लगा, किन्तु प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी व मकान का कब्जा वादी को नहीं दिया। अतः आराजी नंबर 3829 / 257 रकबा 4 बिस्वा से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी द्वारा धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी बाबत् प्रतिवादी द्वारा कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश मावली के समक्ष संविदा की विर्निष्ट पालना का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वादी सज्जनसिंह का जवाब भी प्रस्तुत हो चुका है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भी यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित हो चुका है। उक्त वाद एवं कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश मावली में प्रस्तुत विचाराधीन वाद में वादग्रस्त आराजी व ईकरारनामा दिनांक 23–01–2005 एक ही होकर दोनों की विषय वस्तु एक ही है, जिससे इस प्रकरण को इसी स्टेज पर रोका जाना आवश्यक है। ईकरार की पालना का वाद आप न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए वादी ने बताया कि प्रश्नगत वाद का विधि अनुसार आप न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वाद का निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 27–01–2023 को प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–03–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये, जिस पर उनके अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह झाला उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों वादों की विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दिया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 183 के तहत है, जो कृषि भूमि से संबंधित होने से श्रवणाधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा संविदा की विशिष्ठ पालना का वाद विधि के विपरीत पेश किया गया है, जो स्वतः खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों को समझने में भारी भूल की है। धारा 10 के तहत अगर कोई वाद खारिज होना था तो वह रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होना था न कि अपीलान्ट का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

खारिज होना था। धारा 10 के तहत पश्चातवर्ती वाद को स्टे करने का प्रावधान है, न कि खारिज करने का। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 10 एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों को नजर अंदाज करने हुए उक्त निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर धारा 10 एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद बार्ड बाय लॉ मानते हुए रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी का धारा 10 एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादी ने ईकरारनामा दिनांक 23–12–2005 को आधार बनाते हुए रेस्पोन्डेन्ट जो उसका सगा भाई के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर धारा 10 एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए ईकरारनामे के आधार पर उक्त वाद का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मानकर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद बार्ड बाय लॉ मानकर खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–01–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26–09–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

सज्जनसिंह पिता केशरसिंह जी राजपूत, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर बनाम **डुल्हेसिंह पिता केशरसिंह जी राजपूत, नि0 बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**22 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....मावली..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....27**.....माह.....**01**.....**.....2023**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कुलदीप चौबीसा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री जितेन्द्रसिंह झाला**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–01–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested